


तारीख हुलम	हुलम या कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व जो दिना साधित
<p>5/6/18</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>राम स्वामी</p> <p>हेलम प्रसार</p> <p>हेलम कादरी वरि के कायम मुकामान</p> <p>शान-वर्मा</p> <p>मोहनलाल</p> <p>हरदेव</p>	<p>पत्रावली लोड अदालत के मय मोरणा मे पेश हुई। वादनी कल्लूरी वरि की मूक्यु भी मुचाना पूर्व मे दी जा चुकी है तथा कायम मुकामान भी पेश किये जा चुके है, लोड अदालत की भावना रखते हुए कल्लूरी वरि के वादिसान को रिपोर्ट पर लिखा जाता है। कल्लूरी वरि के कायम मुकामान राम स्वामी, मोहनलाल एव हरदेव मजमे काम मे उपलब्ध है। पूर्व मे पारित निर्णय की पालना मे खोनं 1021/559 शब्दा 0.26 हे 2 मि पर कल्लूरी वरि वर्तमान मे रिपोर्ट आदेशार राजन रिपोर्ट मे प्रकित की जा चुकी है। उक्त निर्णय की अपील मोहनलाल के कायम मुकामान द्वारा RAA मे भी गई अपील रिफाउ की गई थी। प्रकरण मे पुनः सुनवाई की गई तथा उपलब्ध साक्ष्य एवं रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर काना है कि वादीगण की 2 मि पर प्राविणदी के वादिसान मात्र अतिरिक्ती की है नियत से काबिल जिले निपमानुसार बैदखल रिफा जाना उचित प्रतीत होगा है। लिहाजा वाद वादीगण आंगीठ स्वीकार रिफा जाकर खोनं 1021/559 शब्दा 0.26 हे 2 मि पर रिफा की शब्दा पाया जाता है जो बैदखल रिफा जाने के आदेश दिचे जाते है। तदनुसार</p>	


र व न  
के किख  
मीलन

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम  
जो किस हुकम की  
तामील में जारी हुए

गिडकी जाती हो। निर्णय मजमे काम  
मे सरे इतलाम सुनाया गया। फ्राण्सी  
फ्रिंल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

  
(लो.क.व.७.७५५)

  
बुगाब

अतिम डिक्री मुकदमा  
(आ 20 रूल 6-7 जाब्बा दीवानी)  
अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा लोक  
अदालत केम्प मोरपा

उनवान

1. कस्तूरी बाई पुत्री भैरूलाल जाति अहीर मृतक जरिये कायम मुकामान—
  - 1/1. मोहनलाल पुत्र देवीलाल
  - 1/2. हरदेव पुत्र देवीलाल
  - 1/3. रामस्वरूप पुत्र देवीलाल
  - 1/4. नन्द बिहारी पुत्र देवीलाल जाति अहीर निवासीगण बोरखेडा तहसील दीगोद जिला कोटा
  - 1/5. लक्ष्मीबाई पुत्री देवीलाल पत्नी बदरी लाल जाति अहीर निवासी गोस्धनपुरा मोहन चाट वाले के पास कोटडी कोटा
2. पुष्पाबाई पुत्री भैरूलाल जाति अहीर मृतक जरिये कायम मुकामान—
  - 2/1. रामलाल यादव दूधवाले पुत्र स्व0 पुष्पाबाई निवासी, ग्राम मण्डा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसील दीगोद जिला कोटा
2. मोहनलाल पुत्र पांथूलाल मृतक जरिये कायम मुकामान—
  - 2/1. प्रेमबाई विधवा पत्नी स्व0 मोहनलाल
  - 2/2. पुरुषोत्तम पुत्र स्व0 मोहनलाल
  - 2/3. रामस्वरूप पुत्र स्व0 मोहनलाल
  - 2/4. मुकेश पुत्र स्व0 मोहनलाल
  - 2/5. कंवर बाई पुत्री स्व0 मोहनलाल
  - 2/6. अनिता कुमारी पुत्री स्व0 मोहनलाल
  - 2/7. रेखा कुमारी पुत्री स्व0 मोहनलाल जाति नायक निवासीगण मोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा

— प्रतिवादीगण


वाद अन्तर्गत धारा 88-89-91-92ए-183-188 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर-5/13

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्तई रू-ब-रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी भिनजानिब मुद्दई रूबरू भिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम मोरपा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 1021/559 रकबा 0.26 हे0 भूमि पर किसी का कब्जा पाया जाता है तो, बैदखल किया जावे।" तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 05.06.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्ई	रुपये	पैसे	मुद्दालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।

  
(तारामती वैष्णव)  
सहायक कलक्टर,  
दीगोद